

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध 02 अभियुक्त 30-30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹40,000-40,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 09-08-2024 को मु0अ0सं0 685/2016 धारा 376डी,342,506,120बी भादवि0, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रफुल्ल पुत्र राजेंद्र 2-नीरज पुत्र सुरेश निवासीगण अइलख थाना हलधरपुर जनपद-मऊ को कारित अपराध के लिए 30-30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹40,000-40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण कुमार मिश्र, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध एक अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा व ₹16,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 09-08-2024 को मु0अ0सं0 244/2019 धारा 302,307,504 भादवि0 व 27/30 आयुद्ध अधि0 एक्ट थाना दक्षिणटोला में दोषसिद्ध अभियुक्त समीम अख्तर उर्फ पप्पू पुत्र फिरोज अख्तर निवासी मोनीनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹16,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अनिल कुमार तिवारी थाना दक्षिणटोला का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी मामले में एक दोषसिद्ध अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा व ₹15,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 09-08-2024 को मु0अ0सं0 246/2022 धारा 304 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त विक्रम चौहान पुत्र स्व0 जंगबहादुर निवासी बहादुरपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सतेन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

02 वांछित तथा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर हरिहरपुर के पास से मु0अ0सं0 184/24 धारा 5(2) उ0प्र0 धर्म विरुद्ध परिवर्तन अधि0 2021 में वांछित अभियुक्त रामेश्वर उर्फ जानसन

पुत्र देवेन्द्र राजभर निवासी अखिलापुर थाना रसड़ा जनपद बलिया, व वारण्टी अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी चकमन्धेरिया थाना हलधरपुर तथा मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा केरमा मोढ़ चालिसवाँ के पास से मु0अ0सं0 258/24 धारा 87,137(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र लौटू चौहान निवासी मालौ भैसहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ साथ ही साथ सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त प्रेम प्रकाश पुत्र गणेश प्रजापति निवासी उन्हाईच थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध तथा वांछित अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.08.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0